FIVE RUPEES FIVE RUPEES TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल

ग्वालियर म0प्र0

नि. 2712-पीबीआर/15

दिनांक 22.8.15 को श्री डी.पी. गुप्ता अभि० द्वारा प्रस्तुत/
22.8.15
50

22.8.15

नरसिंह **पिता स्व. लक्ष्मण** चौहान *

फोत **वारिसान** :–

1– **कृष्णाबाई पति स्व.** नरसिंह चौहान

2–राजेन्द्र **पिता स्व.** नरसिंह चौहान

3–मंजुलाबाई **पिता स्व.** नरसिंह चौहान पति मदनसिंह चंदावत

4– अशोक चौहान पिता स्व. नरसिंह चौहान

फोत वारिसान :–

(अ) पुष्पाबाई पति अशोक चौहान

(ब) लक्की पिता स्व. अशोक चौहान

सभी निवासीयान ग्राम टाण्डा तह. कुक्षी जिला धार

(स) श्रीमती शीतल राठौर पिता स्व.अशोक प्रति उमेदसिंह

निवासी – ग्राम राजगढ तह. सरदारपुर जिला धार

....................निगरानीकर्तागण

बनाम

1. म.प्र. शासन
2. संतोष पिता उमेंदमल जैन

निवासी ग्राम टाण्डा तह. कुक्षी जिला धार म.प्र.

...............विपक्षीगण

निगरानी अर्ज धारा 50 भू.रा.सं. 1959 अनुसार

"यह निगरानी विद्वान अधिनस्त अपील न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर सम्भाग इन्दौर के राजस्व प्रकरण क्र. 330/अपील/2007–2008 नरसिंह बनाम शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.07.2015 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत कि गई है जहाँ अनुविभागीय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2762–PBR/15 **जिला** धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–9–2015	आवेदकगण की ओर से श्री ओ.पी. शर्मा एवं श्री टी.टी. गुप्ता, अभिभाषकगण उपस्थित । अनावेदक कमांक 1 शासन की ओर से श्री बी.एन. त्यागी, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । अपर आयुक्त, इन्दौर के आदेश दिनांक 3–7–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदकगण के पूर्वज नरसिंह को ग्राम टाण्डा स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 86/1 रकबा 0.115 हैक्टेयर का आवासीय पट्टा दिया गया था, परन्तु उसके द्वारा सर्वे नम्बर 87 रकबा 0.021 हैक्टेयर पर अतिकमण कर मकान बनाया गया है । इस सम्बन्ध में नायब तहसीलदार द्वारा अतिकमण हटाने की कार्यवाही करते हुए अभी केवल कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है और नायब तहसीलदार को अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण करना है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उलब्ध है और वे अपने दस्तावेज नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है, अतः उनके द्वारा अपील निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	